न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम बिक्रमगंज।
अग्रिम जमानत आवेदन सं0–637/2025
आदेश

16.03.2026 यह अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक अभियुक्त फैयाज अंसारी की ओर से दाखिल किया गया है, जिसे भारतीय न्याय संहिता की धारा 85, 115(2) एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 एवं 4 के अधीन दर्ज परिवाद वाद सं0 105/2025 में गिरफतार किए जाने की आशंका है तथा उक्त वाद वर्तमान में विद्वान अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी, बिक्रमगंज, रोहतास के न्यायालय में लंबित है। आवेदन की प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक को दी गई है।

उक्त अग्रिम जमानत आवेदन पर आवेदक अभियुक्त की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री कादीर अहमद खान को सुना, परिवादी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक कुमार को सुना एवं अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री श्रीधन कुमार तिवारी को सुना।

परिवादी का वाद संक्षेप में यह है कि परिवादिनी की शादी दिनांक 22.08.2021 को मुस्लिम रीति–रिवाज के अनुसार अभियुक्त फैयाज अंसारी के साथ संपन्न हुई थी। विवाह के समय परिवादिनी के पिता द्वारा अपनी सामर्थ्य अनुसार लगभग 3,00,000/–रुपए व्यय कर विवाह संपन्न कराया गया था। विवाह के लगभग एक माह पश्चात अभियुक्तों के द्वारा परिवादिनी से 60,000/– रुपए दहेज मांग जी जाने लगी तथा उक्त मांग को लेकर अभियुक्त उसके साथ गाली–गलौज एवं मारपीट कर प्रताड़ित करने लगे। आगे परिवादी का वाद यह है कि परिवादिनी के गर्भवती होने के बाद भी अभियुक्तों के द्वारा उससे लगातार दहेज की मांग की जाती रही एवं उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता रहा। बाद में परिवादिनी ने एक बच्ची को जन्म दिया, जिस पर अभियुक्तगण द्वारा असंतोष व्यक्त करते हुए पुनः दहेज की मांग की गई तथा उसे उसकी नवजात बच्ची के साथ घर से निकाल दिया गया। परिवादिनी के पिता द्वारा समझौते का प्रयास किए जाने पर भी अभियुक्तगण अपनी मांग पर अड़े रहे। तत्पश्चात अभियुक्तगण परिवादिनी के मायके जाकर पुनः 60,000/– रुपए की मांग करते हुए उसे साथ ले जाने से इंकार कर दिया तथा उसके साथ मारपीट किए। अंततः परिवादिनी ने यह वाद अभियुक्तों के विरुद्ध लाया।

आवेदक अभियुक्त की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता को सुना। आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक अभियुक्त की ओर से पूर्व में कोई भी अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन किसी भी न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। आगे आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक अभियुक्त निर्दोष है। उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। उसे इस वाद में झूठा फंसाया गया है। आवेदक अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आगे आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि परिवादिनी द्वारा लगाए अभियोग असत्य हैं एवं जैसा कि परिवादी ने कहा है वैसी कोई घटना नहीं घटी थी। परिवादिनी प्रायः अपने मायके जाने को लेकर विवाद करती थी तथा वह आवेदक

लगातार
16.03.2026

अभियुक्त पर अपने साथ मायके में रहने अथवा शहर में रहने का दबाव बनाती थी। आवेदक अभियुक्त के द्वारा ऐसा न करने पर उसे एवं उसके परिवार को परेशान करने के उद्देश्य से यह मुकदमा दर्ज कराया गया है। आगे आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि विवाह के लगभग चार वर्ष पश्चात यह वाद दायर किया गया है। आवेदक अभियुक्त ने परिवादी से न तो दहेज की मांग किया था और न ही उसे प्रताड़ित किया था। अतः आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदक अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना की है।

अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना। उन्होंने आवेदक अभियुक्तों के अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया है तथा यह कहा है कि आवेदक अभियुक्त परिवादिनी का पति है एवं उसके विरुद्ध परिवादी से दहेज की मांग करने तथा उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करने का गंभीर आरोप है। अतः उन्होंने आवेदक अभियुक्त के अग्रिम जमानत आवेदन को अस्वीकृत किए जाने की प्रार्थना की है।

परिवादिनी न्यायालय में उपस्थित होकर अपने अधिवक्ता के माध्यम से यह कथन करती है कि आवेदक अभियुक्त उसका पति है तथा वह उसे निरंतर दहेज के लिए प्रताड़ित करता था एवं उसे समुचित भोजन भी नहीं देता था।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री, पक्षकारों के कथनों तथा आरोपों की प्रकृति पर विचार करने से स्पष्ट है कि आवेदक अभियुक्त इस वाद का नामित अभियुक्त एवं परिवादिनी का पति है, जिसके विरुद्ध परिवादी से दहेज की मांग करने एवं उसे प्रताड़ित करने का गंभीर अभियोग है। परिवादिनी ने न्यायालय में उपस्थित होकर भी उक्त अभियोग का समर्थन किया है।

अतः एतस्मीनपूर्व वर्णित तथ्यों, वाद की परिस्थितियों एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक के कथनों को विचार करने के पश्चात आवेदक अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान किया जाना उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है, तद्नुसार आवेदक अभियुक्त फैयाज अंसारी की ओर से दायर अग्रिम जमानत आवेदन को **अस्वीकृत** किया जाता है।

लेखापित

अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, बिक्रमगंज।